रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366] [illegible] 70/आश्विन 15, 1892

No. 366] [illegible] OCTOBER 7, 1970/ASVINA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October 1970

S.O. 3315.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Jalna Merchants' Association Limited, Jalna, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do hereby grants in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from 10th October 1970 to 9th October, 1971 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(12)-I.T./70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1970

का० आ० 3315—केन्द्रीय सरकार जलना मर्चेन्टस् एसोशियेशन लि० जलना मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दिए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, विचार कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोशियेशन को बिनौला की अग्रिम संविदाओं की बाबत, 10 अक्टूबर, 1970 से लेकर 9 अक्टूबर, 1971 तक, जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं, एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त संगम वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा ।

[सं० 12 (12)—आई०टी०/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970